पत्रांक–अ०स०क०–08–15/2010 (खण्ड–1) ....

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

शाहिद परवेज
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– ....

विषय :– **राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिलाओं को सहायता के रूप में राशि उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल ₹16,50,000/– (सोलह लाख पचास हजार रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्म निर्भर बनाना चाहती है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल उपबंधित राशि ₹50,00,000/– (पचास लाख रूपये) मात्र में से ₹16,50,000/– (सोलह लाख पचास हजार रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मुस्लिम परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिला को ₹25,000/– (पच्चीस हजार रुपये) मात्र स्वरोजगार हेतु अनुदान प्रदान किया जायेगा। यह राशि परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिला को जीवन काल में केवल एक बार देय होगा।

3. यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट मुख्यशीर्ष– 2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष– 00, लघुशीर्ष– 101–धमार्थ प्रयोजनों के लिए दान, मांग संख्या– 30, उप मुख्य शीर्ष– 0101– मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप में राशि उपलब्ध कराने हेतु विपत्र कोड– 30–2250001010101, विस्तृत शीर्ष– 31– सहायता अनुदान, विषयशीर्ष– 31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि की निकासी चालू वित्तीय वर्ष– 2026–27 में CFMS के माध्यम से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा बी०टी०सी० फार्म–42 में विपत्र तैयार कर की जायेगी। स्वीकृत राशि की निकासी कर सीधे वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक बैंक में विभागीय/ निदेशालय स्तर पर निर्दिष्ट बैंक (ICICI Bank) में "Drawing and Disbursing Officer, Minoirty Welfare Department" के नाम से संधारित बैंक खाता संख्या– 401201000150, आई०एफ०एस०सी० कोड संख्या– ICIC0004012 में जमा की जायेगी। विभागीय/निदेशालय स्तर पर विर्निदिष्ट पदाधिकारी द्वारा PFMS से योजनान्तर्गत अनुमोदित सूची के अनुसार राशि अंतरित की जायेगी।

कृ०पृ०उ०

5. इस स्वीकृत्यादेश में सन्निहित राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

6. इस राशि की निकासी वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 2561 दिनांक–17.04.1998 एवं 10065/वि० दिनांक–17.12.2019 के आलोक में की जा रही है।

7. निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग/ निदेशालय के स्तर पर संधारित करायेंगे।

8. निकासी की जाने वाली स्वीकृत राशि बजट उपबंध के अधीन है। नियमानुसार उतनी ही राशि की निकासी की जा रही है जितना कि तुरंत भुगतान हेतु आवश्यक है। अनावश्यक राशि बैंक खातें में पार्क नहीं किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355/ वि० दिनांक– 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

10. इस पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–08–15/2010 (खण्ड–1) के 162/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– अ०स०क०–08–15/2010 (खण्ड–1) .... पटना, दिनांक– ....

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– अ०स०क०–08–15/2010 (खण्ड–1) .... पटना, दिनांक– ....

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– अ०स०क०–08–15/2010 (खण्ड–1) .... पटना, दिनांक– ....

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक– अ०स०क०–08–15 / 2010 (खण्ड–1) .... पटना, दिनांक– ....

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना / लेखा शाखा (दो प्रतियों में) / बजट शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– अ०स०क०–08–15 / 2010 (खण्ड–1) 126 पटना, दिनांक– 02/06/16

प्रतिलिपिः– आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव